HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/3424

Jabalpur, dated 22.8.2017.

The Notification of the Government of M.P. F.No. 17(E)83/03/21-B(one)/3168/2017, Bhopal, dated 18.8.2017 as per the provisions of Section 153(2) of the Electricity Act, 2003 is forwarded to;

- 1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
- 2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
- 3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
- 4. The District and Sessions Judge, Indore, Jhabua, Neemuch, Panna, Sehore, Shajapur and Ujjain for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also,
- 5. The Deputy Registrar, Confidential and the Section Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information,

6. The Registrar (I.T.) for appropriate action in connection with uploading the notification on the website of the High Court.

(Vivek Saxena) O.S.D. (D.E.)



मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य वि

अधिसूचना



भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2017

फा क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/3168/2017, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिवतयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा क्रमांक 17(ई) 83/03/इक्कीस—ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 47, 53, 67–ए, 68, 86, 87, 93 एवं 104–बी तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात् :–

सारणी

ਹਿਮਕਿਤਾ	Andre Transport and Transport	विशेष न्यायालय के न्यायालय का
	विशेष प्यायालय का नान	
		नाम
(2)	(3)	(4)
इंदौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,	श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान, अतिरिक्त
	विशेष न्यायालय कमांक-7,	सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय
	विद्युत अधिनियम के अधीन,	कमांक-७, विद्युत अधिनियम के
	इंदौर	अधीन, इंदौर
झाबुआ	द्वितीय अपर संशन	श्री ए. एस. अलवा, द्वितीय अपर
_	न्यायाधीश, झाबुआ	सेशन न्यायाधीश, झाबुआ
जावद	अपर सेशन न्यायाधीश,	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, अपर
नीमच	जावद	सेशन न्यायाधीश, जावद
पन्ना	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश,	श्री अनुराग हिवेदी, प्रथम अपर
	पन्ता	सेशन न्यायाधीश, पत्ना
सीहोर	द्वितीय अपर सेशन	श्री नवीन कुमार शर्मा, द्वितीय अपर
	न्यायाधीश, सीहोर	सेशन न्यायाधीश, सीहोर
आप्टा	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश,	कु. सरिता वाधवानी, प्रथम अपर
सीहोर	अाष्टा	सेंशन न्यायाधीश. आष्टा
शाजापुर	द्वितीय अपर सेशन	श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, द्वितीय
	न्यायाधीश, शाजापुर	अपर सेशन न्यायाधीश, शाजापुर
बड़नगर	अपर सेशन न्यायाधीश,	श्री एस.के.जोशी, अपर सेशन
उज्जैन	बड़नगर	न्यायाधीश, बड़नगर.''
	जावद नीमच पन्ना सीहोर आष्टा सीहोर शाजापुर	जिले का नाम (2) (3) इंदौर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय कमांक-7, विद्युत अधिनियम के अधीन, इंदौर डााबुआ द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, जावद अपर सेशन न्यायाधीश, पान्ना प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पान्ना सीहोर द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, पान्ना सीहोर प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, सीहोर अपटा प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, सीहोर आष्टा प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, शाजापुर द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, शाजापुर वडनगर अपर सेशन न्यायाधीश, शाजापुर

REGISTRAR GENERAL HIGH COURT OF M.P. JABALPUR

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(one)/3168/2017, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F.No.17(E) 83/03/21–B (1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 47, 53,67-A, 68, 86, 87, 93 and 104-B and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
47.	Indore	Additional Sessions Judge, Special Court no.7 under Electricity Act, Indore	Shri Raghvendra Singh Chouhan, Additional Sessions Judge, Special Court no.7 under Electricity Act, Indore
53.	Jhabua	II nd Additional Sessions Judge, Jhabua	Shri A.S.Alwa, II nd Additional Sessions Judge, Jhabua
67-A.	Jawad Neemuch	Additional Sessions Judge, Jawad	Shri Raghuveer Prasad Patel, Additional Sessions Judge, Jawad
68.	Panna	1 st Additional Sessions Judge, Panna	Shri Anurag Dwivedi, I st Additional Sessions Judge, Panna
86.	Sehore	H nd Additional Sessions Judge, Sehore	Shri Naveen Kumar Sharma, II nd Additional Sessions Judge, Sehore
87.	Ashta Sehore	I st Additional Sessions Judge, Ashta	Ku. Sarita Wadhwani, I st Additional Sessions Judge, Ashta
93.	Shajapur	II nd Additional Sessions Judge, Shajapur	Shri Yogendra Kumar Tyagi, II nd Additional Sessions Judge, Shajapur

	K.Joshi, Additional ns Judge, gar."
--	---

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए. एम. सक्सेना) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 17(ई)83 / 03 / 21—ब(एक) / 3168 / 2017. भोपाल, दिनांक **18** अगस्त, 2017 प्रतिलिपि:—

- 1. रिजस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. C/2979/III-6-4/03-IX, दिनांक 13.07.2017 के संदर्भ में,
- 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
- 3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल,की ओर म.प्र. राजपत्र भाग—एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

४ (आर.क केंग्री) सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग